न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 154/2016

उनवान

लाला पिता मंगलिया जाति भील निवासी लोहारिया तह, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 01.6.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादी की पेतृक कृषि भूमि गांव लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। जो सवंत 2036 से 2039 में हकरिया पिता दितीया व मंगलिया पिता गौतमा जाति आदिवासी निवासी लोहारिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसका खाता संख्या नई 216 सर्वे नम्बर 2866 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2867 रकबा 16 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2868 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, सर्वे नम्बर 2891 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4164 रकबा 4 बिस्वा, सर्वे नम्बर 4889/3999 रकबा 10 बिस्वा, सर्वे नम्बर 5003/2863 रकबा 19 बिस्वा कुल खेत 7 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल लगान 3.62 रू0 ग्राम लोहारिया तह. गढ़ी में स्थित है। एवं सेटलमेन्ट के दौरान उक्त सर्वे नम्बर के नये सर्वे नम्बर सेटलमेन्ट के दौरान बने है। जो कि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। क्योंकि उक्त खाते के खातेदार हकरिया पिता द्वितीया व मंगलिया पिता गौतमा की मृत्यु हो चुकी है। एवं इसमें हकरिया पिता द्वितीया लाऔलाद फौत हो चुका है। एवं मंगलिया की भी मृत्यु हो चुकी है। एवं मंगलिया का वादी एक मात्र उत्तराधिकारी व वारिस है। एवं उक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम नियमानुसार खाते में दर्ज रिकॉर्ड हुई है। एवं उक्त भूमि पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त सर्वे नम्बरान में सेटलमेन्ट के दौरान नये सर्वे नम्बर दर्ज हुए है। जिसकी नकल इस वाद–पत्र के साथ संलग्न है। उक्त पुराने सर्वे नम्बर 2866 है। रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के निम्नलिखित नये सर्वे नम्बर फर्द तुल्नात्मक के अनुसार सर्वे नम्बर 2866 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के नये सर्वे नम्बर 3636 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3797 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3798 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3799 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 3800 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3801 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3802 रकबा 0.04 हे0 कुल खेत 7 कुल रकबा 0.18 हे0 इस प्रकार उक्त पुराने सर्वे नम्बर का कुल रकबा 1 बिघा 16 बिस्वा था परन्तु सेटलमेन्ट के दौरान उक्त बताए नये सर्वे नम्बर बनाए है। एवं इसका कुल रकबा 0.18 हे0 बना है। जबकि पुरान सर्वे नम्बर के रकबे के अनुसार क्षेत्रफल 0.29 हे0 बनना था इस प्रकार सेटलमेन्ट के दोरान वादी की उक्त सर्वे नम्बर की भूमि में रकबा 0.11 हे0 कम कर दिया गया है। जिसका कानुनन सेटलमेन्ट अधिकारीयों को रकबा कम करने का कोई हक अधिकार नहीं है। वादी को उक्त बात की जानकारी होने पर श्रीमान तहसीलदार साहब के वहां उसका उक्त रकबा कम करने के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र पेश किया है। जिसमें श्रीमान् तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व अधिकारीयो [illegible] की जांच कराई गई जिसमें यह पाया गया कि उक्त वादी के पुराने सर्वे नम्बर [illegible] नये [illegible] नम्बर 3633 रकबा 0.06 हे0 व सर्वे नम्बर 3634 रकबा 0.05 हे0 कुल खेत 2 कुल रकबा 0.[illegible] [illegible] पुराने सर्वे नम्बर 2842 में नये सर्वे नम्बर के रूप में उक्त दोनो सर्वे नम्बर [illegible] व 3634 फर्द तुल्नात्मक में पुराने सर्वे नम्बर 2842 का भाग बताया है [illegible] वादी के पुराने सर्वे नम्बर 2866 का भाग है। एवं उक्त दोनों सर्वे नम्बर वर्तमान में श्री सरकार दर्ज रिकॉर्ड किये गये है एवं श्रीमान् तहसीलदार साहब द्वारा जांच कराने के बाद प्रार्थी को यह कहा गया कि उक्त दोनो सर्वे नम्बर श्री सरकार दर्ज हो गए है। और उसका शुद्धीकरण एवं तुम्हारे खाते में दर्ज कराने हेतु श्रीमान् एस.डी.

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.29 15:39:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ओ. साहब गढ़ी के न्यायालय में दावा पेश करना पड़ेगा। एवं शुद्धीकरण और खाते में दर्ज करना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए वादी राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त कर आप न्यायालय में उक्त दोनों सर्वे नम्बर को राजस्व रिकॉर्ड में जो श्री सरकार दर्ज रिकॉर्ड किये गए है उसे हटाकर वादी को दोनों सर्वे नम्बर का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धीकरण कर उक्त आशय कि प्रविष्टि किये जाने हेतु यह वाद पत्र आप न्यायालय में पेश है। वादी का वाद हेतु सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सेवन से वादी के पुराने सर्वे नम्बर की कृषि भूमि 2866 रकबा 1 बीघा रकबा 16 बिस्वा में से 0.11 हे0 भूमि कम करने से एवं सेटलमेन्ट के दौरान वादी के उक्त पुराने सर्वे नम्बर के बने नये सर्वे नम्बर 3634 रकबा 0.5 हे0, सर्वे नम्बर 3633 रकबा 0.06 हे0 को फर्द तुलनात्मक के अनुसार गलत इन्द्राज करने व श्री सरकार रिकॉर्ड दर्ज करने एवं इसके शुद्धीकरण हेतु श्रीमान् तहसीलदार साहब के कार्यालय में शुद्धीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने एवं तहसीलदार साहब द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट दिनांक 29/1/2016 एवं उसके बाद भी श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा आज से 1 माह पूर्व वादी को यह कहने से कि उक्त शुद्धीकरण एवं खाते में नाम दर्ज करने का अधिकारी क्षेत्र उनका नहीं होने से एवं आप न्यायालय में दावा पेश करने को मौखिक रूप से कहने से एवं उक्त तथ्य सामने आने के बावजुद भी उक्त दोनों सर्वे नम्बर श्री सरकार से वादी के खाते में दर्ज नहीं करने से यह वाद हेतु आज से करीब 1 माह पूर्व उत्पन्न हुआ है। एवं वाद–पत्र घोषणा का होने से वाद पत्र अन्दर म्याद न्यायालय में पेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाकर कथन किया कि प्रार्थी लाला पिता मंगलिया निवासी लोहारिया के खाते की भूमि वक्त सेटलमेंन्ट सर्वे नम्बर 3632 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 3633 रकबा 0.06 हे0 व सर्वे नम्बर 3634 रकबा 0.05 हे0 कुल किता तीन रकबा 0.18 हे0, भूमि वर्तमान रिकार्ड में बिलानाम (ना.का.) काश्त है। उक्त आराजी नम्बर का पुराना आराजी नम्बर 2842 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा पुराना तुलनात्मक अनुसार है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–प. प्रस्तुत कर सर्वे नम्बर 3632, 3633, 3634 तीनों हाल सर्वे नम्बर 2666 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा बनने चाहिये थें, क्योंकि सेटलमेंन्ट में तुलनात्मक नम्बर के अनुसार पुराना सर्वे नम्बर 2666 रकबा 1 बीघा 16 किस्वा भूमि थी जिसके नये तुलनात्मक सर्वे नम्बर 3636 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3797 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3798 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3799 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 3800 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3901 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3802 रकबा 0.04 हे0 इुस प्रकार कुल किता 07 रकबा 0.18 हे0 नये तुलनात्मक बने है। जबकि पुराना सर्वे नम्बर 2866 रकबा 01 बीघा 16 किस्वा भूमि थी जिसका नये नम्बर का कुल रकबा 0.18 हे0 बना। जबकि रकबा 0.29 हे0 होना था। इस प्रकार रकबा 0.11 हे0 भूमि कम दर्ज हुई। उक्त कम दर्ज की गई भूमि श्रीसरकार सर्वे नम्बर 3633 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3634 रकबा 0.05 हे0 कुल किता दो रकबा 0.11 हे0 भूमि प्रार्थी के खातें में दर्ज करना अवगत कराया।

प्रकरण में वादी अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन् करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद एंव संलग्न अभिलेख तथा तहसीलदार (भूमिधारी) गढ़ी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का लोहारिया के मौजा लोहारिया की जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 की खाता संख्या 216 के सर्वे नम्बर 2866 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा के नये सर्वे नम्बर सर्वे नम्बर 3636 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3797 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3798 [illegible] 3799 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 3800 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3801 रकबा [illegible] सर्वे नम्बर 3802 रकबा 0.04 हे0 कुल खेत 7 कुल रकबा 0.18 हे0 [illegible] है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त कम दर्ज [illegible] भूमि श्रीसरकार [illegible] नम्बर 3633 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3634 रकबा 0.05 हे0 कुल किता [illegible] वादी के खातें में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.29 15:39:06 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

आदेश

पटवार हल्का लोहारिया के मौजा लोहारिया की जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 की खाता संख्या 216 के सर्वे नम्बर 2866 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा के नये सर्वे नम्बर सर्वे नम्बर 3636 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3797 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3798 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3799 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 3800 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3801 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3802 रकबा 0.04 हे0 कुल खेत 7 कुल रकबा 0.18 हे0 बनाये जाकर रकबा 0.11 हे0 भूमि कम दर्ज हुई है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त कम दर्ज की गई भूमि श्रीसरकार सर्वे नम्बर 3633 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3634 रकबा 0.05 हे0 कुल किता दो रकबा 0.11 हे0 से कमी कर वादी के खातें में दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.6.2022 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.29 15:39:06 IST
Reason: SelfAttested

गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : हनुमान सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 154/2016

उनवान

लाला पिता मंगलिया जाति भील निवासी लोहारिया तह. गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 01.6.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का लोहारिया के मौजा लोहारिया की जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 की खाता संख्या 216 के सर्वे नम्बर 2866 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा के नये सर्वे नम्बर सर्वे नम्बर 3636 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3797 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3798 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3799 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 3800 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3801 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 3802 रकबा 0.04 हे0 कुल खेत 7 कुल रकबा 0.18 हे0 बनाये जाकर रकबा 0.11 हे0 भूमि कम दर्ज हुई है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त कम दर्ज की गई भूमि श्रीसरकार सर्वे नम्बर 3633 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 3634 रकबा 0.05 हे0 कुल किता दो रकबा 0.11 हे0 से कमी कर वादी के खातें में दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 01.6.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.29 15:39:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner